FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No 23 Dated 30-01-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.7425 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Jaili-Margaon-Taila Motor Road under State Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Taila, Wad** village (s) in **Jakholi** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

(Dr. Raghav Langer)

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी

रुद्रप्रयाग

ANNEXURE….

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Dr. Raghav Langar I.A.S** District Magistrate **Rudraprayag** on date 30-01-15 at time …………at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring **0.7425 hect** for the **Construction of Jaili-Margaon-Taila Motor Road under State Sector (3.00 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated:…………..

Raghav

(Dr. Raghav Langar)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committe, Rudraprayag

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र—23.2

परियोजना का नाम :— जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जौली-मरगाँव - तैला मो० मा० का नव निर्माण लम्बाई 3.00 किमी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ____________

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत

प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जखोली

उपखण्ड जखोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत ____________ (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि 0.7425 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.7425 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.7000 हे0 वन भूमि) का लो० नि० वि० ____________ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जखोली) की दिनांक 20/01/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री लक्ष्मी राज चौहान उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री लक्ष्मी राज चौहान उपजिलाधिकारी ———————— अध्यक्ष
2— श्री अजय कुमार ———— उप प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग ———————— सदस्य
3— श्री हर्षवर्धन गैड़ सहायक समाज कल्याण अधिकारी स० क० अधि० ———— सदस्य / सचिव
4— श्री कमलसिंह रावत बी0डी0सी0 क्षेत्र तैला तहसील जखोली ———— सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जौली-मरगाँव-तैला मो०मा० का नव निर्माण ____________ परियोजना हेतु 2.700 हे0 वन भूमि प्रा० ख० लो० नि० वि० रुद्रप्रयाग ____________ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जौली-मरगाँव – तैला मो० मा० का नव निर्माण लम्बाई 3.00 किमी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ____________

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जखोली

उपखण्ड जखोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत ____________ (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.7425 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ~~0.7425~~ हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.7000 हे0 वन भूमि) का लो० नि० वि० ____ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जखोली) की दिनांक 20/01/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री लक्ष्मी राज चौहान उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री लक्ष्मी राज चौहान उपजिलाधिकारी ____________ अध्यक्ष

2– श्री अजय शर्मा ____ उप प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग ____________ सदस्य

3– श्री हर्षवर्धन ____ सहायक समाज कल्याण अधिकारी (स० क० अधि०) ____________ सदस्य / सचिव

4– श्री कमला सिंह रावत बी0डी0सी0 क्षेत्र तैला तहसील जखोली ____ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जौली-मरगाँव-तैला मो०/मा० का नव निर्माण ____________ परियोजना हेतु 2.700 हे0 वन भूमि

प्रा० ख० लो० नि० वि० रुद्रप्रयाग ____________ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, —रुद्रप्रयाग— द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड —जखोली— परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जौली-भरगाँव-तैला मो०मा० का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु .... हे0 वन भूमि .... प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

(हस्ताक्षर) 20/01/15

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— जखोली
जनपद — रुद्रप्रयाग

(मुहर: उप जिलाधिकारी जखोली)

प्रतिलिपि :— जिलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— ....
जनपद ....

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :–

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –––––– तैला

तहसील –– जखोली –––, जिला ––––– रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

जिला –– रुद्रप्रयाग –– उत्तराखण्ड में

––––– तैला (लाट) ––––– मोटर मार्ग ––– परियोजना के निर्माण हेतु (––––––––

हे0 आरक्षित वन भूमि, ––––––– हे0 सिविल सोयम भूमि .... हे0, वन पंचायत भूमि ––––––– हे0) अर्थात कुल .... हे0 वन भूमि का –––––––––––––––––– विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ––– तैला ––– द्वारा दिनांक .... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ––– तैला ––– के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि –––––––––––––– प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– [signature]
ग्राम सचिव

ह0/– [signature]
ग्राम प्रधान

(मुहर: ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ... जनपद रुद्रप्रयाग) (मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत तैला ... जखोली)

नोट:– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

क्रमशः –2–

प्रपत्र–23.1

दिनांक ....8.................... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत ....तैला..................

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01-	यशपाल सिंह कफरवाण	[signature]
02	गुमान सिंह छिरवाण	
03	सुरत सिंह पवाँर	सुरतसिंह
04	मोहन सिंह बिष्ट	[signature]
05	सुरवीर सिंह पवाँर	[signature]
06	बलवीर सिंह छिरवाण	[signature]
07	प्रेम सिंह पवाँर	प्रेमसिंह
08	उदय सिंह पवाँर	उदयसिंह
09	विजयपाल सिंह छिरवाण	[signature]
10	पूर्णानन्द गोस्वामी	[signature]
11	कुंवर सिंह पवाँर	[signature]
12	गोपाल सिंह राणा	गोपाल सिंह राणा
13.	कुलदीप सिंह नेगी	[signature]
14	जुद्धवीर सिंह राणा	